

कार्यालय : अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-02,  
शाहपुरा, जिला-जयपुर, राजस्थान

क्रमांक : 04

दिनांक : 19-03-2020

कार्यालय आदेश

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा परिपत्र संख्या 8/P.I./2020 दिनांकित 17.03.2020 के जरिये दिनांक 31.03.2020 तक आवश्यक प्रकृति के मामलों की ही सुनवाई किये जाने के दिशा-निर्देश दिये गये हैं तथा शेष प्रकरणों को दिनांक 31.03.2020 के पश्चात् नियत किये जाने के दिशा-निर्देश दिये गये हैं, जिसकी पालना में इस न्यायालय की दिनांक 20.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक जमानत प्रार्थना पत्रों, सुपुर्दगी प्रार्थना पत्रों, रिमांड व नये स्टे प्रार्थना पत्रों के अतिरिक्त शेष प्रकरणों में निम्नानुसार तारीख पेची नियत की जाती है:-

क्रम सं.	पेची की दिनांक	आगामी पेची की दिनांक
1	20.03.2020	01.05.2020
2	21.03.2020	02.05.2020
3	23.03.2020	04.05.2020
4	24.03.2020	05.05.2020
5	26.03.2020	14.05.2020
6	27.03.2020	15.05.2020
7	28.03.2020	16.05.2020
8	30.03.2020	11.05.2020
9	31.03.2020	12.05.2020

— s.a. —  
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
संख्या-02, शाहपुरा, जिला-जयपुर,  
राजस्थान

क्रमांक : 24

दिनांक : 19-3-20

प्रतिनिधि निर्मांकित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भ्रूषित है-

01. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर-जिला, जयपुर।
02. डी वार परसोसिशन, शाहपुरा, जिला-जयपुर
03. न्यायालय नोटिस बोर्ड,
04. रामावार पत्र दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका
05. आदेश पत्रावली/कार्यालय पत्रावली

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
संख्या-02, शाहपुरा, जिला-जयपुर,  
राजस्थान